राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3069/2023
प्रेम कुमारी (कर्मचारी आईडी–आरजेएजे202001037704)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.10.2023
आदेश की दिनांक : 17.11.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेश कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 23.06.2023 व पदस्थापन आदेश दिनांक 17.07.2023 को चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष इन्हीं आलोच्य आदेशों को अपील संख्या 2355/2023 में चुनौती दी थी, जिस अपील का निस्तारण अधिकरण द्वारा अंतिम रूप से आदेश दिनांक 18.09.2023 को किया था, जिसमें निम्न आदेश पारित किया गयाः–

> 4. ''अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।''

2. यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 18.09.2023 से व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 15264/2023 प्रेम कुमारी बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत की थी, जिस रिट याचिका को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 26.09.2023 के द्वारा खारिज किया है। वर्तमान में अपीलार्थी ने नये सिरे से उन्हीं आलोच्य आदेशों को चुनौती दी है, जिसके संबंध में पूर्व में इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2355/2023 व माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 15264/2023 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा एक ही आदेश को बार–बार अधिकरण व उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा रही है, जो उचित नहीं है और न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। अतः हम इस अपील में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

3. परिणमस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)